In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grade from which promotion or deputation /absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i)Additional Medical Superintendent, Safdarjung Hospital - Chairman (ii)Head of Department, Department of Physical Medicine and Rehabilitation , Safdarjung Hospital -Member. (iii)Director or Deputy Director Administration. (In-charge of (MH Section), Directorate General of Health Service -Member (iv) Deputy Director Administration (Safdarjung Hospital) -Member	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. A.-11018/17/2007-MH II Pt]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफदरजंग अस्पताल तथा डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट) तथा प्राध्यापक (फिजियोथेरेपी), भर्ती नियम, 2000 को, जहाँ तक उसका संबंध ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट (सफदरजंग अस्पताल तथा डा. आर एम एल अस्पताल) से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2018 है।

   2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता :** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत्, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ज्येष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट	4* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500 रुपए)	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा ।
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है।	**प्रोन्नति :** फिजियोथेरेपिस्ट जिन्होंने वेतन मैट्रिक में स्तर 6 (35400-112400 रुपए) में आठ वर्ष की नियमित सेवा की हो और जिन्होंने विभाग द्वारा यथा विहित फिजियोथेरेपी के क्षेत्र में दो हफ्ते का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। **टिप्पणी:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से , इनमें से जो भी कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित. जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधी सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य/ क्षेत्रों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या अर्ध सरकारी संगठनों या कानूनी संगठनों या स्वायत्त संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी जिन्होंने - क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (47600-151100 रुपए) में नियमित आधार पर श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की; या (iii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 (35400-112400 रुपए) में नियमित आधार पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हों : फिजियोथेरेपी में बेचलर डिग्री तथा न्यूनतम सौ बिस्तरों वाले किसी सरकारी अस्पताल से फिजियोथेरेपी में पांच वर्ष का अनुभव हो। **वांछनीय:** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी शाखा से फिजियोथेरेपी में मास्टर डिग्री। **टिप्पणी 1:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पार नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितयों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे- (i) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य - अध्यक्ष (ii) संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय - सदस्य (iii) उप महानिदेशक, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य (iv) शारीरिक चिकित्सा और पुनर्वास के प्रधान, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श करना आवश्यक नहीं।

[फा. सं. ए.-11018/17/2007 –एम एच II पार्ट]

जी. ए. रघुवंशी, अवर सचिव

New Delhi, the 12th April, 2017

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Safdarjung Hospital and Dr. Ram Manohar Lohia Hospital, New Delhi (Senior Physiotherapist) and Lecturer (Physiotherapy), Recruitment Rules, 2000, in so far as they relates to the post of Senior Physiotherapist (Safdarjung Hospital and Dr. R.M.L. Hospital), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Physiotherapist in the Safdrjung Hospital, New Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Safdarjung Hospital, New Delhi, Senior Physiotherapist (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2017.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. **Number of post, classification, level in the pay matrix. –** The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualification, etc. –** The method of recruitment age- limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification. –** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Senior Physiotherapist	4* (2017) subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A' , Gazetted, Non-Ministerial	Level 10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix	Selection

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Two years	By Promotion failing which by deputation including short-term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grade from which promotion or deputation/absorption to be made.
(11)

Promotion:

Physiotherapist with eight years' regular service in Level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix and have successfully completed training of two weeks in the field of Physiotherapy as prescribed by the department.

Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation (including short-term contract):

Officers under the Central Government or State Government or Union territories or Recognised Research Institutions or Universities or Public Sector Undertakings or Semi-Government Organisations or Statutory Organisations or Autonomous Organisations-

(a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years' regular service in the grade on regular basis in level 8 (Rs.47600-151100) in the pay matrix; or

(iii) with three years regular service in the on regular basis in level 6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix;

and

(b) possessing the following educational qualification and experience:
bachelor's degree in Physiotherapy and five years' experience in Physiotherapy from a Government hospital having minimum hundred beds.

Desirable:

Master Degree in Physiotherapy in any branch from a recongised University or Institute.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre posts held, immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Chairman or Member of UPSC - Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Health and Family Welfare - Member 3. Deputy Director General, in charge of Medical Hospital Section, Directorate General of Health Services - Member 4. Head of Physical Medicine and Rehabilitation, Safdarjung Hospital - Member	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A.-11018/17/2007-MH II Pt]

G. A. RAGHUVANSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2018

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली पुस्तकालयध्यक्ष श्रेणी-I भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली में सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली, सहायक पुस्तकालय और सूचना अधिकारी, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -** वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है;

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति :** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।